

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-03 (मत्स्य)

देहरादून: दिनांक

11 मई, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना (एस०सी०एस०पी०) अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-482/अनु०जाति (SCSP) योजना/2019-20, दिनांक 04 मई, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व मद में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405--मछलीपालन-101--अन्तर्देशीय मछली पालन-03 "मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्यक्रम"-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में प्राविधानित धनराशि रू० 20000 हजार (रू० दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष संलग्न परिशिष्ट-क की तालिका-1 में उल्लिखित कार्यों हेतु तालिका-2 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जनपदों हेतु तालिका-2 के स्तम्भ-10 के विवरणानुसार कुल धनराशि रू० 20000 हजार (रू० दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII (1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 एवं सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
- (2) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी Allotment ID की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
- (3) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण DBT के माध्यम से किया जायेगा तथा लाभार्थियों के चयन व योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (5) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०-08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (6) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (7) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (8) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

- (9) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- (10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण, लाभार्थियों की सूची **फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-30 में लेखाशीर्षक-2405-मछलीपालन-101-अन्तर्देशीय मछलीपालन-03-“मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्यक्रम”-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या-362(1)/XV-3/2019-08(23)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
6. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

राज्य सैक्टर की अनुसूचित जाति उपयोजना (एस०सी०एस०पी०) उपयोजना के अन्तर्गत संचालित "मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम योजना" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण


1. भौतिक लक्ष्य

क्र० सं०	जनपद	वर्ष 2019-20				प्रशिक्षण	फील्ड भ्रमण	सेमिनार / गोष्ठी
		मैदानी तालाब (हेक्टेयर में)		पर्वतीय तालाब (यूनिट में)				
		निर्माण	निवेश	निर्माण	निवेश			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1.	उत्तरकाशी	-	-	20	20	8	7	1
2.	टिहरी	-	-	20	20	8	7	1
3.	चमोली	-	-	20	20	6	7	1
4.	रुद्रप्रयाग	-	-	16	16	6	6	1
5.	पौड़ी	-	-	22	22	9	8	1
6.	देहरादून	-	-	20	20	8	7	1
7.	हरिद्वार	2.90	2.90	0	0	11	9	1
8.	पिथौरागढ़	-	-	20	20	8	7	1
9.	अल्मोड़ा	-	-	22	22	9	8	1
10.	बागेश्वर	-	-	16	16	6	6	1
11.	चम्पावत	-	-	16	16	6	6	1
12.	नैनीताल	-	-	16	16	6	6	1
13.	उधमसिंह नगर	2.20	2.20	0	0	9	8	1
	योग	5.10	5.10	208	208	100	92	13

2. वित्तीय लक्ष्य

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	जनपद	मैदानी तालाब (हेक्टेयर में)		पर्वतीय तालाब (यूनिट में)		फील्ड भ्रमण	सेमिनार / गोष्ठी	प्रशिक्षण	योग
		निर्माण	निवेश	निर्माण	निवेश				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1.	उत्तरकाशी	-	-	12.00	2.40	1.05	0.15	-	15.60
2.	टिहरी	-	-	12.00	2.40	1.05	0.15	-	15.60
3.	चमोली	-	-	12.00	2.40	1.05	0.15	-	15.60
4.	रुद्रप्रयाग	-	-	9.60	1.92	0.90	0.15	-	12.57
5.	पौड़ी	-	-	13.20	2.64	1.20	0.15	-	17.19
6.	देहरादून	-	-	12.00	2.40	1.03	0.15	-	15.58
7.	हरिद्वार	12.18	2.61	0.00	0.00	1.35	0.15	-	16.29
8.	पिथौरागढ़	-	-	12.00	2.40	1.05	0.15	-	15.60
9.	अल्मोड़ा	-	-	13.20	2.64	1.20	0.15	-	17.19
10.	बागेश्वर	-	-	9.60	1.92	0.90	0.15	-	12.57
11.	चम्पावत	-	-	9.60	1.92	0.90	0.15	-	12.57
12.	नैनीताल	-	-	9.60	1.92	0.90	0.15	-	12.57
13.	उधमसिंह नगर	9.24	1.98	0.00	0.00	1.20	0.15	-	12.57
14.	उप निदेशक मण्डल, पौड़ी	-	-	-	-	-	-	4.25	4.25
15.	उप निदेशक मण्डल, नैनीताल	-	-	-	-	-	-	4.25	4.25
	योग	21.42	4.59	124.80	24.96	13.78	1.95	8.50	200.00


(वी०एस० पुण्डरीर)
उप सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)
Secretary-Secretary, Fisheries(S014)
HOD-Director Fisheries(4362)

आवंटन पत्र संख्या -362/XV-3/2019-08(23)2018

आवंटन आई डी-S19060300009

अनुदान संख्या-030

आवंटन पत्र दिनांक-11-JUN-2019

लेखा शीर्षक 2405-मछली पालन

00--

101-अन्तर्देशीय मछली पालन

03-मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्यक्रम

00-मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम

Voted

2	4	0	5	0	0	1	0	1	0	3	0	0
मानक मद का नाम												
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता												
योग												
											अब तक का व्यय	योग
											0	20000000
											0	20000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,00,00,000 (Rupees Two Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(शिवराज कुमार)
उप सचिव
मत्स्यपालन विभाग
दिल्ली